



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल “सी” बिंग, 59 अरेरा हिल्स, भोपाल

ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति से संबंधित नवीन दिशा निर्देश का प्रारूप

1. प्रस्तावना – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन विषयक भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश (तृतीय संस्करण) की कंडिका 3.1.1 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक “ग्राम रोजगार सहायक” की नियुक्ति का सुझाव दिया गया है। पंचायत स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में बढ़ते दायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक “ग्राम रोजगार सहायक” रखे जाने का अधिकार देने का निर्णय लिया है।

2. उद्देश्य – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना व योजना के अभिसरण से संचालित योजनाओं के साथ ही शासन की अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन का अत्याधिक उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत स्तर पर है। अतः इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन प्रभावी रूप से हो यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक अंशकालीन कर्मचारी के रूप में संविदा आधार पर “ग्राम रोजगार सहायक” रखे जाने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जा रहा है।

3. विस्तार – “ग्राम रोजगार सहायक” को संविदा आधार रखे जाने हेतु प्रदेश की निम्न ग्राम पंचायतों को अधिकारिता है –

- अ. जिन ग्राम पंचायतों में विगत वर्ष में मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यों का सम्पादन हुआ हो व राशि व्यय की गई हो
- ब. यदि किसी ग्राम पंचायत में मनरेगा योजनान्तर्गत राशि का व्यय नहीं किया गया है तो ऐसी ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति नहीं की जावेगी।
- स. यदि किसी ग्राम पंचायत का विलय नगरीय क्षेत्र में हो जाता है तो ऐसी ग्राम पंचायत में अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक से सम्बंधित ग्राम रोजगार सहायक का अनुबंध समाप्त माना जावेगा।
- द. ऐसी ग्राम पंचायतें जहां शासन के पत्र क्रमांक 14115 दिनांक 10.11.2009 में वर्णित दिशा—निर्देशों के आधार पर ‘ग्राम रोजगार सहायक’ नियुक्त हैं वहां नवीन नियुक्ति नहीं की जावेगी एवं इस प्रकार के पूर्व से नियुक्त ग्राम रोजगार सहायकों का कार्य संतोषजनक पाए जाने पर वित्तीय वर्ष में रु. 10.00 लाख व्यय की शर्त को विलोपित करते हुये संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा सीधे ही नवीन दिशा—निर्देशों में वर्णित संविदा शर्तों के आधार पर नवीन संविदा निष्पादित की जावेगी।

4. अर्हताएं –

(अ) अनिवार्य अर्हताएं –

1. म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेन्डरी परीक्षा (10+2) या म.प्र. शासन / केन्द्र शासन से मान्यत प्राप्त बोर्ड जैसे – संस्कृत बोर्ड, ओपन बोर्ड से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता।
2. नियुक्त किये जाने वाले कैलेण्डर वर्ष के एक जनवरी को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।
3. अभ्यर्थी का आवेदित ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना चाहिए। स्थानीय निवासी हेतु आवेदक का नाम उस ग्राम पंचायत की भारत निर्वाचन की मतदाता सूची में पंजीबद्ध होना अनिवार्य एवं पर्याप्त है। किसी ग्राम पंचायत में 03 से कम स्थानीय निवासी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन दिये जाने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत की सीमा से लगे ग्राम पंचायतों के स्थानीय निवासी के आवेदनों को भी विचार क्षेत्र में लिया जावेगा।

(ब) वांछित योग्यताएं –

- 1) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र.सी/3-11/08/2/एक, भोपाल दिनांक 12.6.2009 में उल्लेखित निम्न संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण।
 - i) Diploma from all Universities recognized by UGC.
 - ii) Diploma from all Open Universities recognized by UGC.
 - iii) Diploma level examination from DOEACC.
(स्थानीय रूप से DOEACC is Affiliated/Accredited संस्थाओं के डिप्लोमा मान्य नहीं।)
 - iv) Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College.
 - v) शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण पत्र।
- 2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत एकाउन्टेन्सी, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, आर्किटेक्ट, असिस्टेंट में 06 माह कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त।
- 3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत संविदा पद पर न्यूनतम 01 वित्तीय वर्ष का कार्य अनुभव अथवा सीआईडीसी से मेट प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी।
- 4) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा ग्रामीण इंजीनियर योजना में 110 कार्य दिवस का मेसन/प्लम्बर व्यवसाय में प्रशिक्षित या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) से ड्राफ्टसमेन सर्वेयर का दो वर्षीय प्रशिक्षण।
- 5) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से बी.काम. परीक्षा उत्तीर्ण।

5. स्वीकृत पद – प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक रखे जाने का प्रावधान है।

6. सेवा शर्ते – संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत का कर्मचारी होगा एवं ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति विषयक जारी दिशा-निर्देश व म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश से शासित होगा।

7. आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट – ग्राम रोजगार सहायक का प्रावधान ग्राम पंचायत स्तर पर अंशकालिक संविदा आधारित होकर मनरेगा योजना के जीवन काल तक सीमित होने से आरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधान एवं आयु छूट के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

8. चयन प्रक्रिया –

1. ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति जिला कार्यक्रम समन्वयक के नेतृत्व में कार्यक्रम अधिकारी के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा की जावेगी।
2. जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ग्राम रोजगार सहायक के पदों की पूर्ति हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम प्रसारित किया जावेगा। जिसे स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जावेगा व इसी कार्यक्रम अनुसार रोजगार सहायक की नियुक्ति से संबंधित समस्त प्रक्रिया संचालित होगी।
3. उपरोक्त समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना जारी की जावेगी।
4. आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने की सूचना की प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय व तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जावेगी व संबंधित कार्यालय प्रमुख से इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावेगा कि “ग्राम रोजगार सहायक” के रिक्त पदों की नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिये जारी सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय व तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की गई है।
5. ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पद की नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना प्रकाशन की तिथि से दिनांक 02.02.2016 तक आवेदन पत्र संबंधित जनपद पंचायत द्वारा अपने कार्यालय में प्राप्त किये जावेंगे।
6. परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आवेदकों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जावेंगे एवं परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही, आवेदन पत्र प्राप्त करने की पावती जनपद पंचायत द्वारा संबंधित आवेदक को अनिवार्य रूप से आवेदन प्रस्तुत करते समय ही प्रदत्त की जावेगी।
7. आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के पश्चात् कोई भी आवेदन जनपद पंचायत द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा। अंतिम तिथि के तत्काल बाद प्राप्त आवेदनों की सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रेषित की जावेगी एवं जनपद पंचायत के नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जावेगी।

8. उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायतवार प्राप्त आवेदन पत्रों को कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा परीक्षण किया जाकर प्रत्येक पात्र आवेदक को निम्न मापदण्डों के आधार पर अंक प्रदान किये जावेंगे –

अ. जब कम से कम तीन पात्र आवेदक स्थानीय पंचायत के हों :–

सं. क्र.	मापदण्ड	अधिकतम अंक
1	म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) में या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेन्डरी परीक्षा (10+2) में या म.प्र. शासन/केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड में प्राप्त प्राप्तांकों के प्रतिशत के बराबर अंक।	100
2	<p>सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र.सी/3-11/08/2/एक, भोपाल दिनांक 12.6.2009 में उल्लेखित निम्न संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>i) Diploma from all Universities recognized by UGC.</p> <p>ii) Diploma from all Open Universities recognized by UGC.</p> <p>iii) Diploma level examination from DOEACC. (स्थानीय रूप से DOEACC is Affiliated/Accredited संस्थाओं के डिप्लोमा मान्य नहीं।)</p> <p>iv) Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College.</p> <p>v) शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण पत्र</p> <p>या</p> <p>औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत एकाउन्टेन्सी, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, आर्किटेक्ट, असिस्टेंट में 06 माह कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त।</p>	50
3	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत संविदा पद पर न्यूनतम 01 वित्तीय वर्ष का कार्य अनुभव अथवा सीआईडीसी से मेट प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी।	10
4	<p>औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा ग्रामीण इंजीनियर योजना में 110 कार्य दिवस का मेसन/प्लम्बर व्यवसाय में प्रशिक्षित</p> <p>या</p> <p>औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) से ड्राफ्ट्समेन सर्वेयर का दो वर्षीय प्रशिक्षण।</p>	10
5	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से बी.काम. परीक्षा उत्तीर्ण।	30
	कुल योग –	200

ब. जब तीन पात्र आवेदक स्थानीय पंचायत के निवासी न हों :—

सं. क्र.	मापदण्ड	अधिकतम अंक
1	म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) में या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेन्डरी परीक्षा (10+2) में या म.प्र. शासन/केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड में प्राप्त प्राप्तांकों के प्रतिशत के बराबर अंक।	100
2	<p>सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र.सी/3-11/08/2/एक, भोपाल दिनांक 12.6.2009 में उल्लेखित निम्न संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>vi) Diploma from all Universities recognized by UGC.</p> <p>vii) Diploma from all Open Universities recognized by UGC.</p> <p>viii) Diploma level examination from DOEACC. (स्थानीय रूप से DOEACC is Affiliated/Accredited संस्थाओं के डिप्लोमा मान्य नहीं।)</p> <p>ix) Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College.</p> <p>x) शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण पत्र</p> <p>या</p> <p>औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा रोजगारोनुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत एकाउन्टेन्सी, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, आर्किटेक्ट, असिस्टेंट में 06 माह कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त।</p>	50
3	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत संविदा पद पर न्यूनतम 01 वित्तीय वर्ष का कार्य अनुभव अथवा सीआईडीसी से मेट प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी।	10
4	<p>औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा ग्रामीण इंजीनियर योजना में 110 कार्य दिवस का मेसन/प्लम्बर व्यवसाय में प्रशिक्षित</p> <p>या</p> <p>औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) से ड्राफ्ट्समेन सर्वेयर का दो वर्षीय प्रशिक्षण।</p>	10
5	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से बी.काम. परीक्षा उत्तीर्ण।	30
6	ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी	25
	कुल योग –	225

9. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम में चयन किया जावेगा –

1. अनुसूचित जनजाति महिला
2. अनुसूचित जनजाति पुरुष
3. अनुसूचित जाति महिला

4. अनुसूचित जाति पुरुष
 5. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
 6. अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष
 7. सामान्य महिला
 8. सामान्य पुरुष
 9. इसके बाद भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी।
10. उपरोक्त मापदण्ड के आधार पर ग्राम पंचायतवार अभ्यर्थियों को अंक प्रदान करने के पश्चात् अवरोही क्रम में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जावेगी। ग्राम पंचायतवार तैयार की गई मेरिट सूची में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को चयनित सूची में तथा सर्वाधिक अंक से अगले दो क्रम तक कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा।
11. इस प्रकार ग्राम पंचायतवार तैयार की गई मेरिट सूची संबंधित ग्राम पंचायत को प्रेषित की जावेगी। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत से प्राप्त अनंतिम मेरिट सूची का अनुमोदन ग्राम पंचायत की सामान्य सभा से प्राप्त किया जावेगा एवं अनुमोदन पश्चात् मेरिट सूची का अनंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत व कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा किया जाकर सात दिवस के अंदर दावा/आपत्तियां स्वीकार की जावेंगी।
12. **आपत्तियों का निराकरण** – अनंतिम सूची के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया, मेरिट सूची आदि के संबंध में प्राप्त आपत्तियां कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त की जावेंगी। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा समस्त कार्यक्रम अधिकारियों के कार्यालयों में प्राप्त आपत्तियों को एकत्रित कर उनके विवरण सहित आपत्तियों के निराकरण हेतु निम्नानुसार गठित समिति के समक्ष रखा जावेगा –
1. अति. कार्यक्रम समन्वयक (मुख्य कार्यपालन अधि. जिला पंचा.) – अध्यक्ष
 2. कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रतिनिधि – सदस्य
 3. परियोजना अधिकारी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – सदस्य सचिव
 4. संबंधित जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत) – सदस्य

जनपद पंचायत द्वारा जारी अनंतिम सूची, आपत्ति प्राप्त न होने पर अंतिम सूची मानी जावेगी। तदनुसार संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा अभ्यर्थी से अनुबंध किया जावेगा।

यदि किसी कारण से आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् जारी अंतिम सूची के आधार पर संविदा का अनुबंध ग्राम पंचायत नहीं करती है, तो ग्राम पंचायत के विनिश्चय को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को परीक्षण हेतु भेजा जावेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी परीक्षण उपरांत युक्तियुक्त निराकरण करेंगे।

भविष्य में ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद का निराकरण करने हेतु यही समिति सक्षम होगी।

09. चयन सूची/प्रतीक्षा सूची की वैधता – चयन सूची/प्रतीक्षा सूची की वैधता एक वर्ष के लिये होगी।

10. संविदा पारिश्रमिक – संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को रु. 5000/- प्रतिमाह की दर से एक मुश्त संविदा पारिश्रमिक देय होगा। एक मुश्त संविदा पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई वेतन या भत्ते आदि देय नहीं होंगे। संविदा पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित जनपद पंचायत द्वारा प्रशासनिक व्यय अन्तर्गत उपलब्ध राशि से संबंधित ग्राम रोजगार सहायक के बैंक खाते में जमा किया जावेगा। यदि ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा के अतिरिक्त अन्य किसी शासकीय योजना या कार्यक्रम का कार्य करते हैं तो उस योजनान्तर्गत किसी भी प्रकार के अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

11. संविदा नियोजन की कालावधि एवं कार्य मूल्यांकन –

चयनित ग्राम रोजगार सहायक को प्रथमतः एक वर्ष के लिये नियुक्त किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा कलेक्टर के मार्गदर्शन में प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में जिले के समस्त ग्राम रोजगार सहायक की एक लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी एवं उसके मूल्यांकन के आधार पर इनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकेगा।

कार्य संतोषजनक होने पर ग्राम पंचायत संबंधित की संविदा अवधि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को आयोजित होने वाली ग्राम सभा के अनुमोदन पश्चात् आगामी एक वर्ष की संविदा वृद्धि कर सकेगी, परन्तु कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सकारण लिखित में संविदा वृद्धि न करने के निर्देश दिये गये हों तो ग्राम पंचायत द्वारा संविदा वृद्धि नहीं की जा सकेगी। उपरोक्त कार्रवाईयां माह जनवरी से प्रारंभ कर माह फरवरी तक अनिवार्यतः पूर्ण की जावें।

12. अनुबंध – चयनित अभ्यर्थी को परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप में रु 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध एवं रु. 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर वचन पत्र भरना होगा। यह करार अभ्यर्थी व ग्राम पंचायत के मध्य सम्पादित होगा।

संविदा अवधि की नवीनीकरण के समय भी प्रत्येक ग्राम रोजगार सहायक को रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नवीन अनुबंध सम्पादित करना होगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा संविदा अवधि के एक वर्ष पूर्ण होने के पूर्व पद से त्याग पत्र दिया जाता है तो उसे बाण्ड/अनुबंध में उल्लेखित धनराशि जो उसके पारिश्रमिक/मानदेय के तीन माह के बराबर होगी, को ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।

13. प्रशिक्षण – संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को समय–समय पर आधारभूत एवं जॉब से संबंधित आयोजित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा। प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जावेगा।

14. ग्राम रोजगार सहायक के कर्त्तव्य/दायित्व

ग्राम रोजगार सहायक के कर्त्तव्य/दायित्व निम्नानुसार होंगे –

क्र.	कार्य का विवरण	रोजगार सहायक की भूमिका
1	जॉबकार्ड प्राप्ति हेतु पंजीयन	आवेदन प्राप्त करना एवं आवेदन का रजिस्टर में दर्ज करना, जॉबकार्ड तैयार कर हितग्राही को उपलब्ध कराना एवं जॉबकार्ड पंजी में इन्द्राज करना।
2	जॉबकार्ड प्रदाय	तैयार जॉबकार्ड की पावती प्राप्त कर संबंधित को वितरण करना।
3	अभिलेख संधारण	मनरेगा अन्तर्गत समस्त नस्तियां जैसे – रोजगार पंजी, जॉबकार्ड पंजी, एकिंट प्रोटोकॉल पंजीयां, परिसम्पत्ति रजिस्टर भुगतान पंजी, मस्टर रोल पंजी, शिकायत पंजी, केशबुक, व्हाउचर सामग्री प्रदाय, लेजर बेरोजगारी भत्ता पंजी आदि समस्त अभिलेखों का संधारण करने की जबावदारी होगी।
4	कार्यवार नस्ती संधारण	कार्यवार नस्तियां जिसमें TS/AS/खसरा खतौनी, हितग्राहीमूलक कार्यों के आवेदन, कार्यस्थल का छायाचित्र आदि समस्त दस्तावेजों के साथ संधारण करना।
5	कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधाएं	कार्य प्रारंभ करने हेतु एवं गतिशील रखने हेतु आवश्यक मस्टर रोलों की प्राप्ति करना एवं मस्टर रोल पंजी में दर्ज कराना, कार्यस्थल पर रोजगार गारंटी अधिनियम अनुसार मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना।
6	दैनिक मानव दिवस	दैनिक श्रमिकों की जानकारी अपने उपर्यंत्री/कार्यकर्म अधिकारी को दूरभाष पर प्रतिदिन नोट कराना एवं दैनिक हाजिरी कार्यवार ग्राम पंचायत में संधारित करना।
7	100 दिवस	रोजगार रजिस्टर में प्रति सप्ताह प्रविष्टि कर 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की जानकारी कार्यकर्म अधिकरी को उपलब्ध कराना।
8	शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट	ग्राम सभा के अनुमोदन अनुसार शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में कार्यों को सम्मिलित कर शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट को अद्यतन किया जाना।

9	लेवर वजट एवं वार्षिक कार्ययोजना	लेवर वजट एवं वार्षिक कार्ययोजना बनाये जाने में सहायता प्रदान करना।
10	रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कार्यों का चयन	रोजगार की मांग के दृष्टिगत वर्तमान में किये जाने वाले कार्यों का चयन। इसमें पूर्व से प्रचलित कार्यों में से प्राथमिकता का निर्धारण कर चयन किया जाना।
11	कार्यों के प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति	वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित कार्यों के प्राक्कलन हेतु आवश्यक दस्तावेजों का संकलन कर उपयंत्री को तकनीकी स्वीकृति हेतु सौंपना एवं तकनीकी स्वीकृति उपरांत उपयंत्री कार्यवार नस्ती ग्राम रोजगार सहायक को सौंपेगा। ग्राम रोजगार सहायक 05 सामुदायिक मूलक कार्य व 25 हितग्राहीमूलक कार्य सदैव स्वीकृत कराकर नस्ती तैयार रखेगा एवं उपयंत्री से ले-आउट कार्यस्थल पर प्राप्त करेगा।
12	कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति हेतु आदेश तैयार करना।
13	रोजगार की मांग	रोजगार की मांग प्राप्त करना एवं प्राप्त मांग का पंजीयन करना तथा संबंधित को पावती उपलब्ध कराना।
14	रोजगार की उपलब्धता	सूचना पत्र को तामिल कराना।
15	कार्य स्थल प सूचना पटल	सूचना पटल को प्रतिदिन संधारित करना।
16	मस्टर रोल / जॉब कार्ड	जनपद पंचायत से एमपीआर प्राप्त करना, मस्टर रोल कार्य स्थल पर मेट के पास उपलब्ध रहे यह सुनिश्चित किया जाना एवं कार्यस्थल पर नियोजित किए गए श्रमिकों के जॉबकार्ड पर समस्त प्रविष्टियां पूर्ण करना, मस्टर रोल का संधारण सुनिश्चित करना।
17	साईट ऑर्डर बुक	साईट ऑर्डर बुक कार्य स्थल पर उपलब्ध रहे यह सुनिश्चित किया जाना।
18	कार्यों का मूल्यांकन	प्रत्येक सप्ताह किसी एक निर्धारित दिवस को ग्राम रोजगार सहायक उस दिन तक संधारित किए गए मस्टर रोल मूल्यांकन हेतु जनपद में जमा करेगा। गत सप्ताह के मूल्यांकन किए गए मस्टर भुगतान हेतु प्राप्त करेगा तथा भुगतान किये गये एवं मूल्यांकन किए गए मस्टर रोल की एमआईएस करेगा।

19	भुगतान / एमआईएस	मजदूरी भुगतान हेतु मूल्यांकित मस्टर अनुसार सूची तैयार करना एवं बैंक/पोस्ट ऑफिस से भुगतान सुनिश्चित कराना। भुगतान उपरांत मस्टर रोल एवं बिल व्हाउचर की छायाप्रति एमआईएस में जनपद स्तर पर / Common Service Centre (CSC) में प्रविष्ट करना।
20	एमपीआर	शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में एमपीआर प्रतिमाह की 20 तारीख तक कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराना।
21	राशि की मांग	निर्धारित 27 कॉलम में राशि की मांग पत्र तैयार कर कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराना।
22	जानकारी तैयार करना	महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत नियत जानकारी एवं समय—समय पर अन्य चाही गई समस्त जानकारियां निर्धारित प्रारूप में तैयार कर नियत समय में सचिव को प्रस्तुत करना।
23	जानकारी का प्रदर्शन	योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाने वाली समस्त जानकारियों को परियोजना अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्राप्त कर सूचना पटल पर प्रदर्शित करना।
24	ग्राम सभा का आयोजन	ग्राम सभा के लिये सचिव के निर्देशन में समस्त दस्तावेजों एवं अभिलेखों की तैयारी करना।
25	सामाजिक अंकेक्षण	सामाजिक अंकेक्षण हेतु समस्त दस्तावेज तैयार करने हेतु सचिव को सहयोग करना तथा सामाजिक संपरीक्षा समिति को उपलब्ध कराना। बैठक के दिन आवश्यक सहयोग प्रदान करना। सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा हेतु प्रचार—प्रसार करना एवं कार्य पर लगे मजदूरों की बैठक में भागीदारी सुनिश्चित कराना।
26	सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति	सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति की बैठक की जानकारी प्राप्त कर नस्ती में संधारित की जाना। मूल्यांकन एवं मजदूरी भुगतान के समय सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति के सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित कराना।
27	निरीक्षण व गुणवत्ता नियंत्रण	ग्राम पंचायत क्षेत्र में योजनान्तर्गत चल रहे समस्त कार्यों का सतत् निरीक्षण करना व कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत व उपयंत्री को अवगत कराना।
28	शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य	राज्य शासन/परिषद मुख्यालय द्वारा समय—समय पर सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन करना।

15. अनुशासन एवं नियंत्रण –

1. ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी होगा व संबंधित पंचायत के नियंत्रणाधीन रहेगा। ग्राम रोजगार सहायक पर प्रशासनिक नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत का होगा।
2. कलेक्टर को पर्याप्त कारणों के आधार पर किसी भी समय ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्ति के अधिकार होंगे।

16. संविदा सेवा समाप्ति – ग्राम रोजगार सहायक की संविदा सेवा अवधि पूर्ण होने के पूर्व निम्न विशेष स्थितियों में ग्राम पंचायत द्वारा समाप्त की जा सकेंगी –

1. सेवा अवधि के दौरान व्यक्तिगत एवं नामजद आपराधिक प्रकरण के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)/Charge होने पर अथवा 48 घण्टे से अधिक निरुद्ध रहने पर।
2. अधिकृत प्रशिक्षण में अनुपस्थित होने अथवा प्रशिक्षण को पर्याप्त कारण बगैर मध्य अवधि में छोड़ने पर अथवा प्रशिक्षण में अन्य गंभीर लापरवाही करने पर।
3. वगैर सूचना के एक माह से अधिक मुख्यालय में अनुपस्थित होने पर।
4. स्वयं का त्यागपत्र देने पर।
5. संबंधित के पागल/दिवालिया घोषित होने पर।
6. अनियमित व त्रुटिपूर्ण नियुक्ति प्रमाणित होने पर।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में अनियमिता एवं कर्तव्य निर्वहन में घोर लापरवाही प्रमाणित होने पर।
8. ग्राम पंचायत का अस्तित्व समाप्त होने पर।

17. नियुक्ति व संविदा सेवा समाप्ति से व्यक्ति अभ्यर्थी के लिये उपचार – ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति अथवा कार्यरत ग्राम रोजगार सहायक की संविदा सेवा समाप्त किये जाने पर परिवेदित पक्षकार ऐसा आदेश पारित होने के 30 दिवस के अंदर जिला कार्यक्रम समन्वयक को अपील प्रस्तुत कर सकेंगे। अपीलीय अधिकारी (जिला कार्यक्रम समन्वयक) द्वारा उक्त अपील का निराकरण 90 दिवस में अनिवार्य रूप से किया जावेगा। अपीलीय अधिकारी स्वमेव पुनरीक्षण में भी ऐसी कार्यवाहियों को लेकर अनियमितता दूर कर सकेंगे।

18. संविदा सेवा की अन्य शर्तें –

1. ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत द्वारा चयनित अंशकालिक संविदा सहायक होंगे। राज्य शासन द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार के लाभ, सेवा शर्तें व अन्य सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी।
2. यह नियुक्ति संविदा पर कार्यक्रम विशेष के क्रियान्वयन के लिये की जायेगी। इस तरह कार्यक्रम क्रियान्वयन में उसकी आवश्यकता ही ग्राम रोजगार सहायक के सेवा में बने रहने का औचित्य प्रतिपादित करेगा।

3. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को स्थायीकरण हेतु कोई पात्रता नहीं है और वह भविष्य में नियमितीकरण/स्थायीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।
4. आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करेगा तथा कम्प्यूटर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत कार्य का अनुभव, मेट के रूप में अनुभव अथवा अन्य कोई विशिष्ट योग्यता रखता है तो उसकी स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करेगा तथा इस आशय का शपथ पत्र भी संलग्न करेगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज सत्य व सही हैं। असत्य या अवैध प्रमाण पत्र पाये जाने पर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
5. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को कार्यक्रम अधिकारी जनपद द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य भी सम्पादित करने होंगे।
6. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक बिना किसी विशिष्ट कारण के बगैर सूचना के कर्तव्य से एक माह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
7. मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर ग्राम रोजगार सहायकों के संबंध में जारी आदेश/संशोधन इस नियुक्ति पर भी लागू/बंधनकारी होंगे।
8. संविदा के अन्तर्गत नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति केवल विशिष्ट स्थान के लिये होगी। संविदा में नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक का संविदा अवधि में अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा।
9. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी को शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र संबंधी मूल अभिलेख एवं दो फोटो प्रस्तुत करना होगा।
10. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी सक्षम अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. संविदा पर नियुक्त उमीदवार का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्त अधिकारी द्वारा की गई नियुक्ति बिना कोई कारण बताये रद्द कर दी जावेगी।
12. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को एक वर्ष में कुल 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश व एक वर्ष में कुल 15 दिवस के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। इसी प्रकार मातृत्व अवकाश हेतु महिला कर्मचारी को 90 दिवस के मातृत्व अवकाश की पात्रता होगी एवं 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी।
13. संविदा नियुक्ति आदेश दिनांक से 10 दिवस की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।

14. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को आधारभूत एवं जॉब से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर संविदा सेवा समाप्त की जावेगी।
15. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।
16. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
17. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित अवधि के पूर्व संस्था द्वारा बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेगी।
18. एक वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक की सेवाएं नियोजक/नियोक्ता के एक माह के पूर्व नोटिस के आधार पर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा/भुगतान कर समाप्त हो सकेंगी।
19. **कठिनाईयों का निराकरण** – ग्राम रोजगार सहायक के चयन व नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित कोई प्रश्न उद्भूत होने की स्थिति में परिषद को निर्दिष्ट किया जावेगा। जिसका निर्णय अंतिम होगा।
ग्राम रोजगार सहायक को रखे जाने के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी होने के दिनांक से म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश क्रमांक 14115 दिनांक 10.11.2009 निरस्त माना जावेगा।

ग्राम रोजगार सहायक के माइल स्टोन

क्र.	चेक लिस्ट	समय-सीमा
1.	जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ग्राम रोजगार सहायक के पदों की पूर्ति हेतु समयबद्ध कार्यक्रम प्रसारित करना। – <u>कलेक्टर</u>	अंतिम तिथि 05 जनवरी 2016
2.	जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के लिए परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित करना – <u>ग्राम पंचायत</u>	अंतिम तिथि 02 फरवरी 2016
3.	प्राप्त आवेदनों का परीक्षण व पात्र आवेदकों को परिषद द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर अंक प्रदाय कर मेरिट सूची तैयार करना। – <u>जनपद पंचायत</u>	अंतिम तिथि 15 फरवरी 2016
4.	अनंतिम मेरिट सूची का संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन व तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर अनंतिम सूची का प्रकाशन व दावा/आपत्तियां प्राप्त करना। – <u>ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत</u>	अंतिम तिथि 24 फरवरी 2016
5.	प्राप्त आपत्तियों का संकलन व आपत्तियों के निराकरण बाबत विवरण तैयार करना। – <u>जनपद पंचायत</u>	अंतिम तिथि 02 मार्च 2016
6.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा आपत्तियों के निराकरण हेतु गठित समिति की बैठक की सूचना जारी करना। – <u>जिला पंचायत</u>	अंतिम तिथि 10 मार्च 2016
7.	समिति द्वारा प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर निर्णय पारित करना। – <u>समिति</u>	अंतिम तिथि 17 मार्च 2016
8.	समिति द्वारा पारित निर्णय अनुसार चयनित अभ्यर्थी से ग्राम पंचायत द्वारा संविदा निष्पादित करना। <u>ग्राम पंचायत</u>	अंतिम तिथि 31 मार्च 2016

विज्ञाप्ति का प्रारूप

कार्यालय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्राम पंचायत —— जनपद पंचायत—— जिला——

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (NREGS) के लिए ग्राम रोजगार सहायक (संविदा पद) पर दर्शाई गई शर्तों के आधार पर पूर्ति किए जाने हेतु योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किया जाता है जिसके सामान्य निर्देश निम्नानुसार है :—

1. सामान्य निर्देशः

- अ. विज्ञापन में दर्शायें गये आवेदन पत्र के प्रारूप में ही आवेदक अपना आवेदन सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रेषित करें। अन्य किसी भी प्रारूप में आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- ब. लिफाफे पर स्पष्ट शब्दों में आवेदित पद का नाम, ग्राम पंचायत का नाम एवं भर्ती का प्रकार का उल्लेख करें।
- स. आवेदन पत्र पर अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

आवेदन पत्र दिनांकसे दिनांक तक कार्यालय जनपद पंचायत
..... जिला.....में शाम 5:30 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे।

2. अर्हताएं –

(अ) अनिवार्य अर्हताएं –

1. म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेन्डरी परीक्षा (10+2) या म.प्र. शासन/केन्द्र शासन से मान्यत प्राप्त बोर्ड जैसे – संस्कृत बोर्ड, ओपन बोर्ड से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता।
2. नियुक्त किये जाने वाले कैलेण्डर वर्ष के एक जनवरी को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।
3. अभ्यर्थी का आवेदित ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना चाहिए। स्थानीय निवासी हेतु आवेदक का नाम उस ग्राम पंचायत की भारत निर्वाचन की मतदाता सूची में पंजीबद्ध होना अनिवार्य एवं पर्याप्त है। किसी ग्राम पंचायत में 03 से कम स्थानीय निवासी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन दिये जाने की रिक्ति में संबंधित ग्राम पंचायत की सीमा से लगे ग्राम पंचायतों के स्थानीय निवासी के आवेदनों को भी विचार क्षेत्र में लिया जावेगा।

(ब) वांछित योग्यताएं –

- 1) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र.सी/3-11/08/2/एक, भोपाल दिनांक 12.6.2009 में उल्लेखित निम्न संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण।
 vi) Diploma from all Universities recognized by UGC.
 vii) Diploma from all Open Universities recognized by UGC.
 viii) Diploma level examination from DOEACC.
 (स्थानीय रूप से DOEACC is Affiliated/Accredited संस्थाओं के डिप्लोमा मान्य नहीं।)
- ix) Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College.
- x) शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण पत्र
- 2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत एकाउन्टेन्सी, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, आर्किटेक्ट, असिस्टेंट में 06 माह कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त।
- 3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत संविदा पद पर न्यूनतम 01 वित्तीय वर्ष का कार्य अनुभव अथवा सीआईडीसी से मेट प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी।
- 4) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा ग्रामीण इंजीनियर योजना में 110 कार्य दिवस का मेसन/प्लम्बर व्यवसाय में प्रशिक्षित या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) से ड्राफ्टसमेन सर्वेयर का दो वर्षीय प्रशिक्षण।
- 5) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से बी.काम. परीक्षा उत्तीर्ण।

3. चयन का मापदण्ड –

अ. जब कम से कम तीन पात्र आवेदक स्थानीय पंचायत के हों :–

संक्र.	मापदण्ड	अधिकतम अंक
1	म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) में या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेन्डरी परीक्षा (10+2) में या म.प्र. शासन/केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड में प्राप्त प्राप्तांकों के प्रतिशत के बराबर अंक।	100
2	सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र.सी/3-11/08/2/एक, भोपाल दिनांक 12.6.2009 में उल्लेखित निम्न संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण। xi) Diploma from all Universities recognized by UGC. xii) Diploma from all Open Universities recognized by UGC. xiii) Diploma level examination from DOEACC. (स्थानीय रूप से DOEACC is Affiliated/Accredited संस्थाओं के डिप्लोमा मान्य नहीं।) xiv) Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College. xv) शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण पत्र या	50

	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा रोजगारोनुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत एकाउन्टेन्सी, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, आर्किटेक्ट, असिस्टेंट में 06 माह कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त।	
3	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत संविदा पद पर न्यूनतम 01 वित्तीय वर्ष का कार्य अनुभव अथवा सीआईडीसी से मेट प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी।	10
4	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा ग्रामीण इंजीनियर योजना में 110 कार्य दिवस का मेसन/प्लम्बर व्यवसाय में प्रशिक्षित या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) से ड्राफ्ट्समेन सर्वेयर का दो वर्षीय प्रशिक्षण।	10
5	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से बी.काम. परीक्षा उत्तीर्ण।	30
	कुल योग –	200

ब. जब तीन पात्र आवेदक स्थानीय पंचायत के निवासी न हों :–

संक्र.	मापदण्ड	अधिकतम अंक
1	म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) में या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेन्डरी परीक्षा (10+2) में या म.प्र. शासन/केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड में प्राप्त प्राप्तांकों के प्रतिशत के बराबर अंक।	100
2	<p>सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र.सी/3-11/08/2/एक, भोपाल दिनांक 12.6.2009 में उल्लेखित निम्न संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>xvi) Diploma from all Universities recognized by UGC.</p> <p>xvii) Diploma from all Open Universities recognized by UGC.</p> <p>xviii) Diploma level examination from DOEACC. (स्थानीय रूप से DOEACC is Affiliated/Accredited संस्थाओं के डिप्लोमा मान्य नहीं।)</p> <p>xix) Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College.</p> <p>xx) शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण पत्र या</p> <p>औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा रोजगारोनुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत एकाउन्टेन्सी, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, आर्किटेक्ट, असिस्टेंट में 06 माह कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त।</p>	50

3	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत संविदा पद पर न्यूनतम 01 वित्तीय वर्ष का कार्य अनुभव अथवा सीआईडीसी से मेट प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी।	10
4	औधोगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा ग्रामीण इंजीनियर योजना में 110 कार्य दिवस का मेसन/प्लम्बर व्यवसाय में प्रशिक्षित या औधोगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) से ड्राफ्ट्समेन सर्वेयर का दो वर्षीय प्रशिक्षण।	10
5	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से बी.काम. परीक्षा उत्तीर्ण।	30
6	ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी	25
कुल योग –		225

4. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम में चयन किया जावेगा –

1. अनुसूचित जनजाति महिला
2. अनुसूचित जनजाति पुरुष
3. अनुसूचित जाति महिला
4. अनुसूचित जाति पुरुष
5. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
6. अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष
7. सामान्य महिला
8. सामान्य पुरुष
9. इसके बाद भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी।

5. संविदा सेवा की अन्य शर्तें –

1. ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत द्वारा चयनित अंशकालिक संविदा सहायक होंगे। राज्य शासन द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार के लाभ, सेवा शर्तें व अन्य सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी।
2. यह नियुक्ति संविदा पर कार्यक्रम विशेष के क्रियान्वयन के लिये की जायेगी। इस तरह कार्यक्रम क्रियान्वयन में उसकी आवश्यकता ही ग्राम रोजगार सहायक के सेवा में बने रहने का औचित्य प्रतिपादित करेगा।
3. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को स्थायीकरण हेतु कोई पात्रता नहीं है और वह भविष्य में नियमितीकरण/स्थायीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।
4. आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करेगा तथा कम्प्यूटर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत कार्य का अनुभव, मेट के रूप में अनुभव अथवा अन्य कोई विशिष्ट योग्यता रखता है तो उसकी स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करेगा।

तथा इस आशय का शपथ पत्र भी संलग्न करेगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज सत्य व सही हैं। असत्य या अवैध प्रमाण पत्र पाये जाने पर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

5. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को कार्यक्रम अधिकारी जनपद द्वारा समय—समय पर सौंपे गये कार्य भी सम्पादित करने होंगे।
6. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक बिना किसी विशिष्ट कारण के बगैर सूचना के कर्तव्य से एक माह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
7. मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय—समय पर ग्राम रोजगार सहायकों के संबंध में जारी आदेश/संशोधन इस नियुक्ति पर भी लागू/बंधनकारी होंगे।
8. संविदा के अन्तर्गत नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति केवल विशिष्ट स्थान के लिये होगी। संविदा में नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक का संविदा अवधि में अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा।
9. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी को शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र संबंधी मूल अभिलेख एवं दो फोटो प्रस्तुत करना होगा।
10. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी सक्षम अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्त अधिकारी द्वारा की गई नियुक्ति बिना कोई कारण बताये रद्द कर दी जावेगी।
12. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को एक वर्ष में कुल 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश व एक वर्ष में कुल 15 दिवस के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। इसी प्रकार मातृत्व अवकाश हेतु महिला कर्मचारी को 90 दिवस के मातृत्व अवकाश एवं 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी।
13. संविदा नियुक्ति आदेश दिनांक से 10 दिवस की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।
14. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को आधारभूत एवं जॉब से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर संविदा सेवा समाप्त की जावेगी।
15. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

16. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
17. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित अवधि के पूर्व संस्था द्वारा बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेगी।
18. एक वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक की सेवाएं नियोजक/नियोक्ता के एक माह के पूर्व नोटिस के आधार पर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा/भुगतान कर समाप्त हो सकेंगी।
19. संविदा नियुक्ति के आधार पर नियुक्त कोई भी उम्मीदवार संविदा कालावधि के लिये किन्हीं पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा तथा न ही उसे ऐसी कालावधि के लिये कोई बोनस आदि की पात्रता होगी।

परिशिष्ट-2

आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदित पद का नाम 'ग्राम रोजगार सहायक'
2. आवेदक का नाम
3. आवेदक के पिता/पति का नाम
4. आवेदक का वर्तमान पता
5. आवेदक का स्थाई पता / निवास का पता
- (वांछित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
6. दूरभाष क्रमांक
7. मोबाइल नं.
8. जन्म स्थान
9. ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत
10. (अ) जन्म तिथि – (अंकों में)
- (शब्दों में)
- (ब) 01 जनवरी को आयु – दिन माह वर्ष
11. जाति
12. वर्ग : अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /विकलांग/ भूतपूर्व सैनिक (प्रमाण पत्र सहित)
13. शारीरिक निशकता हॉ/नहीं। यदि हॉ, तो दृष्टिबाधित/अस्थिबाधित/मूकबधिर का प्रमाण—पत्र संलग्न करें।
14. क्या म.प्र. के स्थायी निवासी है :— हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो गृह जिले का नाम
.....
15. शैक्षणिक योग्यता – (प्रमाण पत्र व अंकसूची की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें.)

वर्तमान
फोटो
स्व-प्रमाणित

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/विश्वविद्यालय	वर्ष	विषय	प्राप्तांक	प्रतिशत
1.	हायर सेकेन्डरी (10+2)					
2.	कम्प्यूटर परीक्षा					
3.	बी.काम.					

16. प्रशिक्षण/कार्य अनुभव/रोजगार का विस्तृत विवरण –

(कार्या./संस्था प्रमुख का प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

क्र.	विवरण	पद नाम	कम्पनी/ विभाग/ संस्था का नाम	तिथि						कुल कार्यानुभव	
				कब से			कब तक				
				दि.	माह	वर्ष	दि.	माह	वर्ष		
1	एकाउटेंसी										
2	कम्प्यूटर एप्लीकेशन										
3	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर										
4	आर्किटेक्ट असिस्टेंट		औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) से रोजगारोनुखी प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत (न्यूनतम 06 माह का प्रशिक्षण)								
5	ग्रामीण इंजीनियर योजना में 110 कार्य दिवस का मेसन/ प्लम्बर व्यवसाय में प्रशिक्षण		औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) से								
6	ड्राफ्टसमेन सर्वेयर का दो वर्ष का प्रशिक्षण		औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) से								
7	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत संविदा पद										
8	सीआईडीसी से मेट प्रशिक्षण प्राप्त व न्यूनतम एक वित्तीय वर्ष का कार्य अनुभव										
9	अन्य										

17. ऐसे दो व्यक्तियों का नाम/पता/टेलीफोन नं. जो आपके रिश्तेदार नहीं हो तथा

जो आपके बारे में आपके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित कर सके।

(अ)

(ब)

आवेदक का घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज पूर्णतः सत्य हैं। जानकारी व संलग्न दस्तावेज असत्य पाए जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर वैधानिक कार्यवाही करने के पूर्ण अधिकार जिला कार्यक्रम समन्वयक को होंगे।

दिनांक.....

स्थान.....

आवेदक के हस्ताक्षर व नाम

संलग्न :— (कृपया हाँ अथवा नहीं लिखें.)

1	शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण—पत्र (स्वप्रमाणित)	
1.	हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2)	
2.	कम्प्यूटर उत्तीर्ण परीक्षा	
3.	बी काम	
2	जाति प्रमाण—पत्र की प्रतिलिपि	
3	स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र	
4	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा रोजगारोनुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण एकाउन्टेंसी / कम्प्यूटर एप्लीकेशन / डाटा एन्ट्री ऑपरेटर / आर्किटेक्ट असिस्टेंट में 06 माह कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्ति का प्रमाण पत्र।	
5	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा ग्रामीण इंजीनियर योजना में 110 कार्य दिवस का मेसन / प्लम्बर व्यवसाय में प्रशिक्षण या ड्राफ्टमेन सर्वेयर का दो वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्ति का प्रमाण पत्र।	
6	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में संविदा पद पर न्यूनतम एक वित्तीय वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र।	
7	सीआईडीसी से मेट प्रशिक्षण प्राप्ति का प्रमाण पत्र एवं योजनान्तर्गत मेट के रूप में एक वित्तीय वर्ष के कार्यानुभव का प्रमाण पत्र।	

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम एवं पता

जनपद पंचायत द्वारा आवेदक को दी जाने वाली पावती

श्री / श्रीमती / कु.....निवासी.....द्वारा ग्राम पंचायत के रिक्त ग्राम रोजगार सहायक के (संविदा) पद के लिये प्रस्तुत आवेदन दिनांक को प्राप्त किया गया है। जिसमें निम्न दस्तावेज संलग्न है :—
संलग्न :- (कृपया हाँ अथवा नहीं लिखें।)

1	शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण—पत्र (स्वप्रमाणित)	
1.	हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2)	
2.	कम्प्यूटर उत्तीर्ण परीक्षा	
3.	बी काम	
2	जाति प्रमाण—पत्र की प्रतिलिपि	
3	स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र	
4	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा रोजगारोनुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण एकाउन्टेंसी / कम्प्यूटर एप्लीकेशन / डाटा एन्ट्री ऑपरेटर / आर्किटेक्ट असिस्टेंट में 06 माह कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्ति का प्रमाण पत्र।	
5	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा ग्रामीण इंजीनियर योजना में 110 कार्य दिवस का मेसन / प्लम्बर व्यवसाय में प्रशिक्षण या ड्राफ्टमेन सर्वेयर का दो वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्ति का प्रमाण पत्र।	
6	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में संविदा पद पर न्यूनतम एक वित्तीय वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र।	
7	सीआईडीसी से मेट प्रशिक्षण प्राप्ति का प्रमाण पत्र एवं योजनान्तर्गत मेट के रूप में एक वित्तीय वर्ष के कार्यानुभव का प्रमाण पत्र।	

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर व नाम

सचिव, ग्राम पंचायत

कार्यालय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
**कार्यालय ग्राम पंचायत जनपद पंचायत
जिला**

क्र./

/एनआरईजीएस/ग्रा.प./2012

दिनांक

:: आदेश ::

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (NREGS) के लिए ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला के अंतर्गत चयनित निम्न उम्मीदवार को ग्राम रोजगार सहायक के पद पर दर्शाई गई संविदा शर्तों पर रखा जाता है :—

उम्मीदवार का नाम/ पिता का नाम	पदस्थापना का विवरण
	ग्राम पंचायत

उपरोक्त उम्मीदवार को दिनांक (एक सप्ताह) के पूर्व ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला के कार्यालय में पदभार ग्रहण करना होगा।

संविदा शर्ते :—

1. ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत द्वारा चयनित अंशकालिक संविदा सहायक होंगे। राज्य शासन द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार के लाभ, सेवा शर्ते व अन्य सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी।
2. यह नियुक्ति संविदा पर कार्यक्रम विशेष के क्रियान्वयन के लिये की जायेगी। इस तरह कार्यक्रम क्रियान्वयन में उसकी आवश्यकता ही ग्राम रोजगार सहायक के सेवा में बने रहने का औचित्य प्रतिपादित करेगा।
3. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को स्थायीकरण हेतु कोई पात्रता नहीं है और वह भविष्य में नियमितीकरण/स्थायीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।
4. आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करेगा तथा कम्प्यूटर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत कार्य का अनुभव, मेट के रूप में अनुभव अथवा अन्य कोई विशिष्ट योग्यता रखता है तो उसकी स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करेगा।

तथा इस आशय का शपथ पत्र भी संलग्न करेगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज सत्य व सही हैं। असत्य या अवैध प्रमाण पत्र पाये जाने पर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

5. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को कार्यक्रम अधिकारी जनपद द्वारा समय—समय पर सौंपे गये कार्य भी सम्पादित करने होंगे।
6. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक बिना किसी विशिष्ट कारण के बगैर सूचना के कर्तव्य से एक माह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
7. मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय—समय पर ग्राम रोजगार सहायकों के संबंध में जारी आदेश/संशोधन इस नियुक्ति पर भी लागू/बंधनकारी होंगे।
8. संविदा के अन्तर्गत नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति केवल विशिष्ट स्थान के लिये होगी। संविदा में नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक का संविदा अवधि में अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा।
9. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी को शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र संबंधी मूल अभिलेख एवं दो फोटो प्रस्तुत करना होगा।
10. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी सक्षम अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्त अधिकारी द्वारा की गई नियुक्ति बिना कोई कारण बताये रद्द कर दी जावेगी।
12. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को एक वर्ष में कुल 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश व एक वर्ष में कुल 15 दिवस के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। इसी प्रकार मातृत्व अवकाश हेतु महिला कर्मचारी को 90 दिवस के मातृत्व अवकाश एवं 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी।
13. संविदा नियुक्ति आदेश दिनांक से 10 दिवस की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।
14. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को आधारभूत एवं जॉब से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर संविदा सेवा समाप्त की जावेगी।
15. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

16. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
17. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित अवधि के पूर्व संस्था द्वारा बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेगी।
18. एक वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक की सेवाएं नियोजक/नियोक्ता के एक माह के पूर्व नोटिस के आधार पर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा/भुगतान कर समाप्त हो सकेंगी।
19. संविदा नियुक्ति के आधार पर नियुक्त कोई भी उम्मीदवार संविदा कालावधि के लिये किन्हीं पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा तथा न ही उसे ऐसी कालावधि के लिये कोई बोनस आदि की पात्रता होगी।

सचिव, ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला

पृ.क्र./ /एनआरईजीएस/ ग्रा.प./ 12 दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला
की ओर सूचनार्थ।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला की
ओर सूचनार्थ।
4. सबंधित श्री की ओर सूचनार्थ
एवं पालनार्थ।

सचिव, ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला

ग्राम पंचायत एवं ग्राम रोजगार सहायक के मध्य

(संविदा) का प्रारूप

यह संविदा दिनांक माह वर्ष को एक पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कु. पदनाम (संविदा) 'ग्राम रोजगार सहायक' (जो इसके पश्चात संविदा 'ग्राम रोजगार सहायक', ग्राम पंचायत कहलायेगा) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में सरपंच व सचिव, ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला (जो इसके पश्चात् नियोक्ता कहलाएँगे) के बीच में निष्पादित की गई है।

अतः (ग्राम पंचायत का नाम) में निम्नलिखित शर्तों पर दिनांक से संविदा पर श्री/श्रीमती/कु. को 'ग्राम रोजगार सहायक' के रूप में ग्राम पंचायत में (संविदा) नियुक्ति के लिए सहमत है।

1. 'ग्राम रोजगार सहायक' ग्राम पंचायत द्वारा चयनित अंशकालिक संविदा सहायक होंगे। राज्य शासन द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार के लाभ, सेवा शर्त व अन्य सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी।
2. यह कि ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला दिनांक को श्री/श्रीमती/कु. को ग्राम पंचायत में संविदा पर 'ग्राम रोजगार सहायक' नियुक्ति करता है। संविदा पर नियुक्त 'ग्राम रोजगार सहायक', ग्राम पंचायत का कर्मचारी होगा। 'ग्राम रोजगार सहायक' की नियुक्ति विषयक जारी दिशा-निर्देश एवं म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों से शासित होगा।
3. ग्राम रोजगार सहायक को नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष के लिये नियुक्ति किया जायेगा। उसका कार्य संतोषजनक होने पर ग्राम पंचायत नियमानुसार एक समय में 01 वर्ष के लिये संविदा में नवीनीकरण वृद्धि कर सकेगी।
4. ग्राम पंचायत या संविदा 'ग्राम रोजगार सहायक' के द्वारा 01 माह का नोटिस देकर अथवा उसके बदले में 01 माह की संविदा रकम का भुगतान कर संविदा समाप्त की जा सकेगी। 'ग्राम रोजगार सहायक' की अनुपस्थिति की

- दशा में उसके निवास के अंतिम ज्ञात स्थान पर अथवा आवेदन पत्र में दर्शित मूल निवास स्थान पर रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजी जावेगी।
5. यदि सेवा के दौरान संविदा 'ग्राम रोजगार सहायक' कोई दुराचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसे में प्रावधानानुसार सेवा से पृथक किया जा सकता है।
 6. यह कि संविदा 'ग्राम रोजगार सहायक' विहित कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन/सम्पादन पूर्ण ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, क्षमता तथा योग्यता के साथ अनुशासन में रहकर विनम्रता से और पूर्ण समय की पाबंदी के साथ करेगा। उसके संबंध और व्यवहार अपने साथी कर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों तथा नियोक्ता के साथ अच्छे एवं मधुर होना वांछनीय होगा।
 7. संविदा 'ग्राम रोजगार सहायक' को किसी भी परिस्थिति में स्थान परिवर्तन/स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी।
 8. संविदा 'ग्राम रोजगार सहायक' को रु. 3200/- (रु. तीन हजार दो सौ मात्र) प्रतिमाह की दर से एकमुश्त संविदा रकम देय होगी। संविदा रकम का भुगतान संबंधित जनपद पंचायत द्वारा सीधे 'ग्राम रोजगार सहायक' के बैंक खाते में जमा किया जायेगा।
 9. यह कि संविदा 'ग्राम रोजगार सहायक' को पेंशन संबंधी किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी।
 10. संविदा 'ग्राम रोजगार सहायक' को निम्न आधार पर भी पद से पृथक किया जा सकता है –
 - 10.1 पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो तो ऐसे मामले में शासन ही निर्णय ले सकता है, अर्थात् यदि म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद को इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकती है।
 - 10.2 जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट पर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए। यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट से यह समाधान हो जाता है कि संविदा 'ग्राम रोजगार सहायक' पद के अयोग्य है और उसके खराब स्वास्थ्य की वजह से

विचारार्थ कालावधि के लिए उसके अयोग्य बने रहने की संभावना है तो उसकी सेवाएं उसे एक माह की सूचना देकर समाप्त कर दी जाएगी।

- 10.3 जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो।
- 10.4 जिसने विवाह के लिए विहित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो।

उपरोक्त कारणों के आधार पर सेवा समाप्ति की दशा में नियोक्ता को संविदा की शेष कालावधि के लिए किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान करने का दायित्व नहीं होगा।

11. संविदा 'ग्राम रोजगार सहायक' को शासकीय कार्य से यात्रा करते समय नियमानुसार यात्रा भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। इस प्रकार की यात्राओं को संबंधित ग्राम पंचायत से पूर्व अनुमति तथा देयक का प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।
12. संविदा 'ग्राम रोजगार सहायक' की नियुक्ति के तत्काल पश्चात् आपराधिक मामलों में शामिल न होने के संबंध में पुलिस सत्यापन कराया जावेगा। इस हेतु आवेदन पत्र में दर्शित मूल निवास पता तथा पदस्थापना संबंधित ग्राम पंचायत से संबंधित पुलिस थाना से सत्यापन कराना होगा। यदि सत्यापन में प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होती है तो संविदा 'ग्राम रोजगार सहायक' की सेवाएं तत्काल समाप्त मानी जावेगी। इस प्रकार की सेवा समाप्ति की दशा में नियोक्ता को संविदा की शेष कालावधि के लिए किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान करने का दायित्व नहीं होगा।
13. यह कि संविदा 'ग्राम रोजगार सहायक' को संविदा नियोजन की अवधि में नियोक्ता द्वारा प्रदत्त/विहित/वांछनीय लेखा संबंधी अभिलेखों/नस्तियों/पंजियों/किताबों का संधारण समुचित रूप से करना होगा और उसे अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखना होगा। नियोक्त द्वारा योजनाओं से संबंधित समस्त चाही गई जानकारियां सदैव उपलब्ध कराएगा तथा योजना के आय-व्यय का लेखा-जोखा सही-सही समय पर उपलब्ध कराएगा। उक्त जानकारियां/अभिलेख उसके कार्यालय में सुरक्षित रखे जाएंगे तथा उचित

समय पर/निरीक्षण/अवलोकन के लिए विभाग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के अवलोकन हेतु खुला रखा जाएगा।

14. ग्राम पंचायत से अनुमति प्राप्त किए बिना कार्य स्थल से अनुपस्थिति की अनुमति नहीं होगी। संविदा अवधि के दौरान एक वर्ष में 13 दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 15 दिवस के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। महिला संविदाकर्मी को 90 दिवस की प्रसूति अवकाश एवं 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी। यदि संविदा ‘ग्राम रोजगार सहायक’ ग्राम पंचायत की अनुमति के बगैर अवकाश पर जाता है तो उसके संविदा पारिश्रमिक से ऐसी अवधि के लिये अनुपातिक पारिश्रमिक की कटौती की जावेगी।
15. यह कि संविदा ‘ग्राम रोजगार सहायक’ को विभाग द्वारा समय—समय पर आयोजित समस्त प्रशिक्षणों/कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा तथा संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को समय—समय पर आधारभूत एवं जॉब से संबंधित आयोजित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा। प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जावेगा।
16. यह कि संविदा ‘ग्राम रोजगार सहायक’ को नियोजनकर्ता प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यों/कर्त्तव्यों का निर्वहन करना होगा।
- इस संविदा को दिनांक माह वर्ष को निष्पादित करके निम्नलिखित की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किए एवं नियोक्ता के कार्यालय की मुद्रा लगाई गई।

.....
संविदा ‘ग्राम रोजगार सहायक’
के हस्ताक्षर

साक्षी —

1.
2.

सरपंच

ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला

सचिव

ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला